न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 14/2016(2016/00265) दर्ज दिनांक 02.05.2016

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

संशोधित टाईटल

1. मांगु पिता भेरू जाट
2. हेमा पिता छोगा जाट
3. दिनेश पिता रतनलाल जाट
4. शोभा बेवा रतनलाल जाट

सर्व निवासी नांदशा, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवरलाल पिता नंगजीराम जाट निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. मृतक श्री उदयराम पित नंगजीराम जाट निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के कायम मुकामान वारिसान:–

    2/1. मिठुलाल आत्मज उदयराम जाट

    2/2. सुगना पुत्री उदयराम जाट

    2/3. शांति पुत्री उदयराम जाट

    2/4. प्रेमी पत्नि उदयराम जाट

    2/5. रामदेव आत्मज प्रकाश जाट ना0बा0

    2/6. तारा पुत्री प्रकाश जाट ना0बा0

    2/7. मोनिका पुत्री प्रकाश जाट ना0बा0 बविलायत जरिये संरक्षक माता लादी पत्नि प्रकाश जाट

    2/8. लादी पत्नि प्रकाश जाट

    सर्व निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. सोहनी पुत्री नंगजीराम जाट पत्नि गोपीलाल जाट निवासी नांदशा हाल निवासी सुण्डाकाखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. टमु पुत्री नंगजीराम जाट पत्नि अम्बालाल जाट निवासी नांदशा हाल निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. दाखी बेवा नंगजीराम जाट निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा(राज0)

––विपक्षीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:07:20 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता प्रार्थीगण ... जैन

अधिवक्ता विपक्षीगण ...

विपक्षी: ... सरकार

1.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांकः–29.10.2020

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 1730 रकबा 0.02 हे0 व आराजी संख्या 1731 रकबा 0.39 हे0 कृषि भूमि अवस्थित है उक्त वर्णित आराजियात पर हम प्रार्थीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है उक्त वर्णित आराजियात को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजियात से संबोधित किया जा रहा है।

आवागमन करने का एक मात्र सरल व सुगम मौके पर बना हुआ रास्ता विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 के संयुक्त खातेदारी की आराजी संख्या 1732 की दक्षिणी मेड़ पर से होकर वर्षो से मौके पर रहा है और इसी रास्ते से प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 1730 रकबा 0.02 हे0 व आराजी संख्या 1731 रकबा 0.39 हे0 कृषि भूमि में पैदल, संज बैलगाड़ी इत्यादि साधनों से निरन्तर आवागमन शांतिपूर्वक करते चले आ रहे थे उक्त रास्ते के अलावा विवादित आराजियात पर आवागमन करने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर अवस्थित नहीं है उक्त रास्ता मौके पर 15 फीट चौड़ा होकर बना हुआ है।

विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 के संयुक्त खातेदारी की आराजी संख्या 1732 की दक्षिणी मेड़ पर मौके पर बना हुआ 15 फीट चौड़ा रास्ता हालांकी राजस्व नक्शे में डोटेड के रूप में दर्शाया हुआ है लेकिन राजस्व अभिलेख में डोटेड के रूप में दर्शाया गया रास्ता अभिलेख दर्ज रेकार्ड नहीं होने के कारण विपक्षी संख्या एक लगायत पांच के मन में उक्त रास्ते को जबरन अवरूद्ध व नष्टप्राय करने की दुर्भावना हाल ही में जागृति हो गयी इस बाबत् विपक्षी संख्या एक लगायत पांच ने मौके पर उक्त रास्ता बंद करने के दुराशय से कच्चे पत्थर भी डाल दिये हैं जबकि विपक्षीगण को इस प्रकार का कृत्य करने का कानुनन कोई हक व अधिकार नहीं है, यदि विपक्षी संख्या एक लगायत पांच द्वारा उक्त रास्ते को जबरन कच्चे पत्थरों की दिवार बनाकर अवरूद्ध व नष्टप्राय कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण अपनी विवादित आराजियात में हर प्रकार से साधनो से अवागमन करने से वंचित हो जायेंगे फलस्वरूप प्रार्थीगण विवादित आराजियात में फसल काश्त नहीं कर पायेंगे जिससे प्रार्थीगण को काफी असहनीय क्षति होगी इस कारण विपक्षी संख्या एक लगायत पांच की संयुक्त खातेदारी की आराजी संख्या 1732 की दक्षिण मेड़ पर बना हुआ 15 फीट चौड़ा रास्ता मौके पर खुलासा रखाया जाने के साथ–साथ उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज अभिलेख कराया जाना प्रार्थीगण के लिये अत्यन्त आवश्यक हो गया।

अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर यह आदेश प्रदत्त फरमाया जावे कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 1730 व 1731 में पैदल, संज, बैलगाड़ी इत्यादि साधनों से आवागमन करने क[illegible] 15 फिट चौड़ा रास्ता विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 के संयुक्त खातेदारी अधिकार की आराजी [illegible] 1732 की दक्षिण मेड़ पर स्थित है, को राजस्व रेकार्ड में दर्ज अ[illegible] उपयोग में उपभोग में ली जा रही भूमि का मुआवजा प्रतिक[illegible] फरमाये व प्रार्थीगण से विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 को संयुक्त या पृथकतः अथवा विपक्षी [illegible]ख्या 6 के मार्फत दिलाये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:07:20 IST
Reason: SelfAttested

2.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला ...

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02.05.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण नं. 02 की मृत्यु हो जाने का प्रा0 पत्र दिनांक 04.09.2020 को प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जिनके सम्मन जारी किये गये जो बाद तामिल उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये इसी दरमियान विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थन पत्र आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 जा0दी0 का पेश किया जिसकी प्रति प्रार्थीण अधिक्ता को दिलाई जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई बाद बहस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया एवं विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा कायम मुकाम की ओर से अधिकार पत्र पेश कर पक्षकार बनाने का निवेदन किया जिससे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 का स्वीकार किया जाकर कायम मुकाम वारिसान को रेकार्ड पर लिया गया।

पेरोकार सरकार उपस्थित। तथा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/20/35 दिनांक 08.01.2020 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

मौका पर्चा अनुसारः– वादग्रस्त भूमि ग्राम नांदशा के आराजी नं0 1732 के सबंध में बिन्दुवार जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है–

यह कि ग्राम नांदशा के आराजी नं0 1732 के राजस्व नक्शे में डोटेड लाईन दर्शायी गई है। किन्तु राजस्व रेकार्ड में रास्ता अभिलिखित नहीं नहीं है।

यह कि मौके पर रास्ता बंद है तथा आराजी नं0 1732 के चारो ओर चारदीवारी बना रखी है।

यह कि वर्तमान में आराजी नं0 1731 व अन्य आराजियात तक पहुंचने के लिये आराजी नं0 1735 में से आपसी सहमति से आवागमन कर रहे है।

यह कि वर्तमान में आपसी सहमति से आराजी नं0 1735 में से आवागमन किया जा रहा है।

यह कि आराजी नं0 1732 में से 0.02 हे0 तथा आराजी नं0 1735 में से 0.02 हे0 रास्ते हेतु दिया जा सकता है।

यह कि उक्त दोनों रास्ते को राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है।

यह कि मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण व पेरोकार सरकार को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया तथा विपक्षीगण के अधिवक्ता ने मौका रिपोर्ट का हवाला एवं मौका रिपोर्ट में वर्णित अन्य आराजियात 1735 से संबंधित को पक्षकार नहीं बनाये जाने से प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण एवं विपक्षी व पेरोकार सरकार द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एवं जवाब पर गहनता से मनन किया। जिससे जाहिर हुआ कि आराजी नं0 1731 व अन्य आराजियात तक पहुंचने के लिये आराजी नं0 1735 में से प्रार्थीगण आपसी सहमति से आवागमन कर रहे है। तथा 1732 में मौका रिपोर्ट के अवलोकन से प्रतित हुआ कि केवल डोटेड लाईन [illegible] हुई है राजस्व रेकार्ड में रास्ता अभिलिखित नहीं है। तथा अन्य आराजियात [illegible] आवागमन किया जा रहा है जिसमें से रास्ते हेतु प्रार्थीगण द्वारा [illegible] खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है । एवं प्रार्थीगण का आवागमन बाधित नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर टी एक्ट [illegible] अस्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:07:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जिला

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 14/2016(2016/00265)
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए का पोषनीय नहीं होने से खारिज किया किया जाता है। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2020 मेंरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाडा

4.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:07:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner